न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम युवराज सिंह आदि।
मु.सं.–389/2015
मु0अ0सं0–27/2015
धारा–323,504,506,406,420
भा0दं0सं0
थाना–ठाकुरद्वारा।

07.11.2019

अभियुक्तगण युवराज सिंह व नवनीत कुमार की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–27/2015 धारा–323,504,506,406,420 भा0दं0सं0 थाना–ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त पर 225000/–रू0 की धोकाधड़ी, प्रार्थी के रूपये हड़पनने, मारपीट, गाली–गलौंच व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्तगण युवराज सिंह व नवनीत कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र धारा–323,504,506,406,420 भा0दं0सं0 में निरस्त किया जाता है।

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा